

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-बिल/ 1426

दिनांक :- 16/4/2012

आहरण वितरण अधिकारी
समस्त।

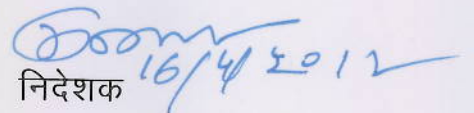
विषय:- ऑनलाइन वेतन बिल ई.सी.एस./एन.ई.एफ.टी./के माध्यम से
भुगतान हेतु तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि माह मार्च 2012 के वेतन बिलों का भुगतान यथा संभव ई.सी.एस. के माध्यम से किया जा चुका है। ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान किये जाने पर कुछ विभागों/डी.डी.ओ. के वेतन बिलों में गलतियां पायी गयीं, जिस कारण उन बिलों का भुगतान ई.सी.एस. से नहीं किया जा सका एवं विलम्ब से भुगतान हुआ। अतः समय पर एवं सही भुगतान हेतु वेतन बिल बनाते समय निम्न बिन्दुओं की पालना अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करावे :-

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के बैंक विवरण यथा बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम व शाखा के नाम के विवरण कम्प्यूटर में सही रूप से दर्ज हो तथा इसकी पुष्टि कर्मचारी से करवायी गयी हो।
2. एस.बी.बी.जे. के खाताधारक कर्मचारियों के वेतन बिल तथा अन्य बैंकों के खाताधारक कर्मचारियों के वेतन बिल पृथक-पृथक बनाये जावें।
3. कुछ कर्मचारियों के बैंक विवरण में बैंक का नाम एक्सिस बैंक दर्ज था किन्तु खाता संख्या एस.बी.बी.जे. की दर्ज थी। इस प्रकार की त्रुटि को सुधार कर सही विवरण दर्ज करवाया जावे।
4. वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र संख्या 12/2012 दिनांक 13.04.2012 के अनुसार वेतन बिल ऑनलाइन तैयार कर उस माह की 20 तारीख के पश्चात संबंधित कोषालय/उपकोषालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय


निदेशक

क्रमांक:- एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-बिल/

दिनांक :-

प्रतिलिपि: प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एन.आई.सी. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को पे-मैनेजर की साइट एवं निदेशालय की साइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।

संयुक्त निदेशक (आई.एफ.एम.एस.)